न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 89/2016
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 14/09/2016
निर्णय दिनांक : 28/03/2017

रमेशचन्द पारीक पुत्र रामदेव पारीक, जाति ब्राह्मण, निवासी 20, नेहरू नगर, केसरीचन्द चौधरी नगर के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर, राज0।

–– प्रार्थी

–बनाम–

घीसालाल पुत्र पांचूराम, जाति कुम्हार, निवासी कोटजेवर ,तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी

उपस्थिति – ***श्री बाबूलाल साहू***
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी
श्री लालचन्द कुमावत
श्री रामदयाल बैरवा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रार्थी

निर्णय दिनांक 28/03/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अप्रार्थी घीसालाल की ओर से दिनांक 22/02/2017 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी इस आशय का पेश हुआ कि "प्रार्थी घीसालाल की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 698/383 रकबा 0.5800 हैक्टेयर वाके ग्राम कोटजेवर, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि क्षैत्रफल की दृष्टि से बेहद कम हैं, जिसमें भी आराजी खसरा नम्बर 780/329 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कोटजेवर तहसील मौजमाबाद में आने जाने के लिये 30 फीट चौड़ा नया मार्ग चाहा गया है इस प्रकार एक छोटे से रकबे 0.37 हैक्टेयर मे जाने के लिये प्रार्थी 1125 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप मे चाही गई है जबकि प्रार्थी घीसालाल की लगवा पडौसियों की जमीन को भी रास्ता मिल रहा है व यह रास्ता "रास्ता के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जायेगा जिसका लाभ सभी चिपते हुये खातेदार भी उठायेंगे अतः आप आराजी खसरा नम्बर 393 के खातेदार सिणगारी पत्नि पन्नाराम, बींजा पुत्र केशरा, पन्ना पुत्र नानगा जातियान कुम्हार निवासीयान कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व गोविन्दनारायण, रामसहाय पुत्रान राधाकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व खसरा नम्बर 395 के खातेदार रामलाल पुत्र पन्ना, ईश्वरलाल, श्रवणलाल, दुर्गाशंकर पुत्रान पन्नाराम जाति कुमावत निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व खसरा नम्बर 398 के खातेदार बरदा पुत्र जंगला जाति कुम्हार निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद को सुना जाकर बराबर बराबर जमीन ली जाकर उक्त प्रकरण का न्याय निर्णय किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 मे भी माननीय न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण मे 30 फीट चौडाई के रास्ते का क्या औचित्य है इस पर नियमानुसार परिक्षण कर न्यायोचित चौडाई के रास्ते बाबत निर्णय पारित करने हेतु निर्देश किया गया है इसलिए उक्त पडौसी काश्तकारान को उक्त आवेदन पत्र मे आवश्यक रूप से अप्रार्थी पक्षकार कायम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त सभी पडौसी काश्तकार से अपना पक्ष रास्ते की चौडाई सुनकर बराबर जमीन लिये जाने के बाबत पक्षकारान कायम जाना न्यायहित मे आवश्यक है क्योंकि उक्त रास्ता इनके सीम मेर से जाता है इसलिये बराबर बराबर जमीन लिया जाना कानूनन आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि आवंटित रास्ते के उचित निर्णय हेतु पडौसी काश्तकारान खातेदारान खसरा नम्बर 393 सिणगारी पत्नि पन्नाराम, बींजाराम पुत्र केशरा, पन्ना पुत्र नानगा जाति कुम्हार निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व गोविन्दनारायण, रामसहाय पुत्रान राधाकिशन जाति ब्राह्मण निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व खसरा नम्बर 395 के खातेदार रामलाल पुत्र पन्ना, ईश्वरलाल, श्रवणलाल, दुर्गाशंकर पुत्रान पन्नाराम जाति कुमावत निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद खसरा नम्बर 398 के खातेदार बरदा पुत्र जंगला जाति कुम्हार निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद को अप्रार्थी पक्षकार कायम किया जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील अप्रार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी का जवाब पेश कर अतिरिक्त–कथन में अंकित किया कि प्रार्थी रमेशचन्द ने मूल प्रार्थना–पत्र में माननीय न्यायालय से खसरा नम्बर 698/383 की आराजी में से रास्ता दिये जाने की प्रार्थना की है तथा अन्य आराजी में से रास्ता बाबत कोई अनुतोष व तथ्य वर्णित नही किये हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत रास्ते के बाबत तहसीलदारजी द्वारा रिपोर्ट विस्तृत जांच कर प्रेषित की है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर पुनः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उक्त दोनों रिपोर्ट से भी यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 393, 395, 398 के खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कोई आवश्यक व उचित पक्षकार नही हैं। खसरा नम्बर 393, 395, 398 के खातेदार न तो इस प्रार्थना–पत्र में आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार हैं। मूल प्रार्थना–पत्र का निस्तारण उक्त खातेदारों के पक्षकार संयोजन किये बिना भी किया जा सकता हैं, जिससे उक्त खातेदारों के हित प्रभावित होने की संभावना नही है न ही उक्त खातेदारों ने स्वंय ने आवेदन पेश किया है, ऐसी स्थिति में उक्त खातेदारों की ओर से आवेदन पेश करने का अप्रार्थी घीसा को कोई वैध अधिकार नही है, जो पक्षकार स्वंय विवाद रहित रहना चाहता हो उसको अनावश्यक पक्षकार संयोजित कर मुकदमेंबाजी का सामना करना हेतु मजबूर नही किया जा सकता हैं यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि खसरा नम्बर 398 की आराजी के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालयों में विवाद लम्बित है, जिनके द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी किये गये है, ऐसी स्थिति में उक्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित करने का अर्थ है स्थगन आदेश का उल्लंघन करना। इस कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी ने लिखित बहस बाबत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पेश की तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रार्थी की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी, लिखित बहस, तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 19/09/2016 एवं दिनांक 25/01/2017 एवं मूल प्रार्थना–पत्र धारा 251 क बाबत चाहने रास्ता का व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार से पायी गयी कि प्रार्थी/अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 393, 395, 398 ग्राम कोटजेवर, पटवार मण्डल झरना, तहसील मौजमाबाद के खातेदारान सिणगारी पत्नि पन्नाराम, बींजाराम पुत्र केशरा, पन्ना पुत्र नानगा जाति कुम्हार निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व गोविन्दनारायण, रामसहाय पुत्रान

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद व रामलाल पुत्र पन्ना, ईश्वरलाल, श्रवणलाल, दुर्गाशंकर पुत्रान पन्नाराम जाति कुमावत निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद तथा बरदा पुत्र जंगला जाति कुम्हार निवासी कोटजेवर तहसील मौजमाबाद को पक्षकार बनाने बाबत् निवेदन किया है, उक्त प्रार्थना–पत्र के पीछे विद्वान अधिवक्ता का आशय यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी/प्रार्थी की भूमि में प्रवेश के लिये अन्य सम्बन्धित पडौसी काश्तकारों की खातेदारी भूमि में से रास्ते दिये जाने बाबत् न्यायालय विचार करें। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि खसरा नम्बर 393, 395, 398 के खातेदारान को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी के द्वारा मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क में आवश्यक पक्षकार कायम किया जावे अथवा नही? अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उक्त रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 19/09/2016 पेश हुयी। अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आपत्ति प्रार्थना पत्र के अनुसरण में तहसीलदार मौजमाबाद को पुनः मौके पर जाकर सम्भावित वैकल्पिक रास्तों की रिपोर्ट देने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा पुनः विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 25/01/2017 की गयी। प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी में खसरा नम्बरान 393, 395, 398 के खातेदारान को पक्षकार बनाने हेतु दो तथ्य महत्वपूर्ण है। प्रथम यह है कि क्या सम्बन्धित खातेदारान ने मूल प्रार्थना–पत्र 251 क में पक्षकार बनने हेतु अपनी ओर से सहमति प्रकट की है अथवा जरिये अधिवक्ता वकालतनामा सम्बन्धित पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत हुआ है। उक्त प्रकरण में खातेदारों की सहमति का कोई वर्णन नहीं है ना ही विद्वान अधिवक्ता ने उक्त खातेदारान के हस्ताक्षरित वकालतनामा प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र 251 क में पक्षकार बनने हेतु न्यायालय के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया गया है उन खातेदारों की खातेदारी में स्थित भूमि खसरा नम्बरान 393, 395, 398 में से आवेदक की भूमि में से जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते पर विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? वह वैकल्पिक मार्ग आवेदक की भूमि में पहुँचने का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है अथवा नही?

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार, मौजमाबाद की रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होती है। तहसीलदार मौजमाबाद की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 19/09/2016 के बिन्दु संख्या 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि "प्रार्थी आवेदक के खसरा नम्बर 780/399 में पहुँचने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा बिन्दु संख्या 6 के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 780/399 हेतु सबसे कम दूरी का अन्य कोई रास्ता मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07/11/2016 को आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26/12/2016 को तहसीलदार मौजमाबाद को यह निर्देश जारी किये गये कि वह पुनः मौके पर जाकर अन्य समस्त सम्भावित रास्तों के सन्दर्भ में पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 25/01/2017 प्राप्त हुयी। तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 25/01/2017 के बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 698/383 के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरों में कोई रास्ता सम्भावित नहीं है। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टो के विस्तृत अध्ययन के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुँचे है कि आवेदक की खातेदारी भूमि में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य खसरा नम्बरान से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी/टीए/712/2017 निर्णय दिनांक 15/02/2017 का सन्दर्भ देते हुये कहा कि प्रकरण में 30 फीट चौडाई के रास्ते का क्या औचित्य है? इस तथ्य का अंकन विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी में किया जाना आवश्यक नहीं था। इस तथ्य का निर्णय मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की अंतिम बहस व प्रार्थना पत्र के निर्णय के समय किया जाना सुसंगत होगा।

चुंकि यह स्पष्ट है कि आवेदक की भूमि में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी की भूमि के अलावा अन्य कोई न्यूनतम पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः अन्य किसी खातेदारान को प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी द्वारा पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/ अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 स्वीकार योग्य नही पाया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी/ अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 खारिज किया जाता हैं तथा प्रकरण सुनवाई हेतु जेरकार रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 28/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
(दूदू-जयपुर)
दूदू

Scanned by CamScanner